न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 12/2017

वाद दायरी दिनांक : 04/01/2017

निर्णय दिनांक : 7/2/2017

राजपाल यादव पुत्र सूबे सिंह यादव, जाति यादव निवासी 953, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर राज0।

—— वादी

बनाम

1. कानाराम खारोल पुत्र गोपी } समस्त जातियान खारोल निवासीगण
2. गोपाल पुत्र रामेश्वर } नासनोता, तहसील मौजमाबाद (जयपुर)
3. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री रमेश पारीक
श्री रामदयाल बैरवा
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 7/2/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 92 के आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 1.1400 है0 किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 393 रकबा 1.5900 है0 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.2000 है0 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.1500 है0 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.0300 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह एवं खसरा नम्बर 397 रकबा 1.0100 है0 किस्म चाही 2 वाके ग्राम नासनोता, पटवार हल्का नासनोता, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर वादी एवं प्रतिवादी की

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 392, 394, 395, 396, 397 में वादी का 7/12 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/6 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 393 में वादी का 53/84 हिस्सा एवं प्रतिवादी 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 2 का 5/42 हिस्सा जिसका पक्षकारान मुताबिक हक हिस्सा कास्तकर लगान अदा करते आ रहे है। खातेदारी में शामिल होने के कारण हम फरीकेन को आराजी का लगान अदा करने, फसल करने तथा भूमि के विकास को लेकर कठिनाई रहती है। अतः वादी आराजियात मुतदाविया का तकासमा कर अपना हिस्सा नियमानुसार अलग कराना चाहते है। विवाद मूल दिनांक 09.08.2016 को प्रतिवादी को आराजीयात का तकासमा करने के लिए कहा तो उन्होने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। अतः यही विवाद मूल पैदा होकर दावा करना लाजमी आया है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि दावा विरूद्व प्रतिवादी बाबत तकासमा आराजियात डिक्री फरमाया जाकर आराजीयात मद नम्बर 1 और 2 वाद पत्र का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हक हिस्सा तकासमा फरमाया जाकर वादी का हिस्सा वादी की खातेदारी में अलग दर्ज फरमाया जाये। तदनुसार लगान का भी विभाजन फरमाया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 24/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की तामिल प्रोपर होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्व कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 फोरमल पक्षकार है, जिसकी ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 19 के अनुसार विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा

Scanned by CamScanner

आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि विवादित आराजी विधिवत रूप से अविभाजित आराजीयात हैं तथा विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद तामिल न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा न ही कोई आपत्ति पेश हुयी तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी है, इसलिये उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 92 के आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 1.1400 है0 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 393 रकबा 1.5900 है0 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.2000 है0 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.1500 है0 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.0300 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह एवं खसरा नम्बर 397 रकबा 1.0100 है0 किस्म चाही 2 वाके ग्राम नासनोता, पटवार हल्का नाासनोता, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य कब्जे अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जिला जयपुर राज0।

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..42

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई प्रारंभिक डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चूरू जिला चूरू

व इजलास श्री विनोद चन्द मीणा, आर.ए.एस.

राजपाल जाट पुत्र [illegible] जाट जाति जाट मकान नं. 953, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड, जयपुर बनाम 1. कानाराम स्वामी पुत्र गोपी 2. गोपाल पुत्र रामेश्वर जाति- स्वामी नि. [illegible]

दावा बाबत [illegible]

मुकदमा नं. 12/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रमेश पारीक

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता नं. 72 की आराजी ख.न. 392 रकबा 1.1400 है० किस्म बारानी 1, ख.न. 393 रकबा 1.5900 है. किस्म बारानी 1, ख.न. 394 रकबा 0.2000 है. किस्म चाही 2, ख.न. 395 रकबा 0.1500 है० किस्म चाही 2, ख.न. 396 रकबा 0.0300 है० किस्म गैर मुमकिन चाह एवं ख.न. 397 रकबा 1.0100 है०

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वगैरह .... फीसदी ......ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 02 सन् 2017 को

जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चूरू

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

3) किता चाही 2 चक ग्राम नाकनाला, परगना हलका नाकनाला, तह० मौजमाबाद जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा० 2 के मध्य कब्जा अनुसार तकासमा किया जाकर रकबा अलहदा-अलहदा किया जाता है

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)